न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) निवाई जिला टोंक

(डा.नीलम मीणा आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)निवाई द्वारा अध्यासित)

GCMS NO.:– 2018/00135
दावा संख्या :– 96/2018
निर्णय दिनांकः–

1. रामप्यारी पुत्री जमनालाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम किंवाडा तहसील निवाई जिला टोंक
–वादीयां

उनवान

1. रामअवतार पुत्र मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
2. सीता पुत्री मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
3. माया पुत्री मूलचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
4. शंकरलाल पुत्र रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
5. प्रभाती पुत्री रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
6. भूरी पत्नि रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
7. गोपाल पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
8. संतोष पुत्री रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
9. कमला बेवा रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी किंवाडा, तहसील निवाई जिला टोंक राज.
10. तहसीलदार निवाई जिला टोंक राज.
11. उपपंजीयक निवाई जिला टोंक राज.

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्थी इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितः–1. श्री नरेन्द्र कुमार जाट वादी अधिवक्ता
2. एकतरफा कार्यवाही की गई।

निर्णय

ादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि के आराजी खाता संख्या 158 में .नं. 240 रकबा 3–06 बीघा ख.न. 242 रकबा 1–10 बीघा ख.नं. 244 रकबा 1–13 बीघा ख.नं. 75 रकबा 2–13 बीघा ख.नं. 378 रकबा 4–16 बीघा ख.नं. 379 रकबा 3 बीघा ख.नं. 380 कबा 2 बीघा ख.नं. 381 रकबा 1 बीघा ख.नं. 382 रकबा 03 बिस्वा ख.नं. 386 रकबा 16 बिस्वा ख.नं. 396 रकबा 07 बिस्वा ख.नं. 397 रकबा 06 बिस्वा ख.नं. 398/1028 रकबा 4–08 बीघा कुल किता 13 कुल रकबा 25–18 बीघा वाके ग्राम किंवाडा पटवार हल्का खिडगी तहसील नेवाई जिला टोंक में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके 1/3 हिस्से पर वादीया, 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एवं 1/3 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 काबिज काश्तकार चले आ रहे है। उक्त आराजी पूर्व में वादीया व प्रतिवादीगण के पूर्वज श्योनारायण के नाम दर्ज थी जो

Scanned with OKEN Scanner

योनारायण की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जमनालाल के नाम आयी। प्रतापा ला–औलाद फोत हो या तथा जमनालाल की मृत्यु होने पर उक्त सम्पूर्ण भूमि परिवार में बडा होने के कारण मात्र गदीश के नाम दर्ज इन्द्राज कर दी गई और जगदीश व केदार ला–औलाद फोत होने पर तिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता व दादा रामेश्वर ने उक्त सम्पूर्ण भूमि अपने नाम दर्ज लगवा ी और रामेश्वर की मृत्यु होने पर उसके वारिसान मूलचन्द, शंकर, प्रभाती व भूरी के नाम दर्ज न्द्राज हो गई। उक्त भूमि पर वादीया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या 7 ता 9, मस्वरूप व रामेश्वर के समय से मौके पर 1/3–1/3 बांटकर काश्त करते चले आ रहे है था उक्त भूमि जमनालाल की पैतृक आराजी है। वादीया वर्तमान में सहदायगी की सदस्य है सलिये वादीया, प्रतिवादी संख्या 7 ता 9 एवं 1 ता 6 को उक्त वर्णित भूमि का 1/3–1/3 क व हिस्सेदार है, किन्तु उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम होने से वादीया के कब्जे ाश्त में बाधा मजाहमत करने व बेकब्जा करने पर आमाद है। इस कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 6 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीया को 1/3 हक व हिस्से बेदखल नही करे तथा वादग्रस्त भूमि के किसी भाग व हिस्से को भी किसी प्रकार से र्द बुर्द, रहन, विक्रय आदि न करें।

दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। तिवादीगण बाद तामिल उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा र्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी की ओर से साक्ष्य पेश नही कर सीधे ही लिखित स प्रस्तुत की।

वकीलवादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया व स पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया ने भूमि वादग्रस्त को क होना तथा इस आधार पर उसका भूमि वादग्रस्त में हक व हिस्सा होना बताया है, परन्तु ावली के साथ केवल संवत 2071–2074 की जमाबन्दी संलग्न की है, जिसमे भूमि तिवादीगण के नाम दर्ज है। वादिया द्वारा पत्रावली के साथ ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नही या गया है, जिससे भूमि का पैतृक होना साबित होता है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में द वादिया सिद्ध नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर खिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.4.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/4/22

(डॉ0 नीलम मीणा)
सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक)
निवाई

Scanned with OKEN Scanner